FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

मुकेश पुत्र श्री चेतराम जाति अहीर निवासी प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना

बनाम

चेतराम पुत्र श्री हरीसिंह जाति अहीर निवासी प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थन पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0 208 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	17.06.2025 आज यह प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतित होता है। अप्रार्थीगण को आगामी तारीख़ पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1010,1011,1066, 1068,1069,546/1340,567,580,584,990,991,665,666,477, 480,481 वाके प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान में प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि का रहन बय नहीं करें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दि0 22.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)	

तारीख हुक्म	
22-7-25	आज सार पत्रावली पेश हुई ... मु.पी. ... के वकील उपस्थित है ... तलबी ... समय चाहते है। पत्रावली वास्ते ... रिपो. तलबी दिनांक 29-9-25 को पेश है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
29-9-25	आज पत्रावली फीलपाड के साथ पेश हुई। पत्रावली वास्ते रिपो. तलबी दिनांक 26-11-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
Note Breef [illegible] 21 / [illegible] Fd by [illegible]	27.10.25 आज यह पत्रा० फील्ड बुक के साथ पेश हुई। फील्ड बुक नोट बुक में [illegible] की [illegible] से ख. नं. 212RSA की नोट बुक [illegible] है। अतः [illegible] का ख. नं. 212 RSA नोट बुक में [illegible] सकता है। पत्रा० के साथ [illegible] नक्शा है कर दी। संलग्न [illegible] [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)